



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13012026-269320
CG-DL-E-13012026-269320

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]	नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 13, 2026/पौष 23, 1947
No. 09]	NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 13, 2026/PAUSHA 23, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 9 जनवरी, 2026
सं. 43/2025-26

विषय: विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट 2ड के अन्तर्गत सूचीबद्ध करना- उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीह) जारी करने हेतु एजेंसी को अधिकृत करने के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/55/एएम-21/पीसी-II(बी)/[ई-26250].— विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा उद्गम प्रमाण-पत्र (गैर-तरजीह) जारी करने के लिए निम्नलिखित एजेंसी को तत्काल प्रभाव से अधिकृत करते हैं:

इंडिया एंड अरब कंट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (आइएसीसीआइए),

पता-एफ 9/11, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057

वेबसाइट: <https://iaccia.com/>

ई-मेल: info@iaccia.com

दूरभाष: +911142460536/09810038211

2. तदनुसार, उपर्युक्त एजेंसी का नाम विदेश व्यापार नीति-2023 के परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2ड [उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीह) जारी करने के लिए अधिकृत एजेंसियों की सूची] की क्रम सं. 20 (दिल्ली) पर जोड़ा गया है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

इंडिया एंड अरब कंट्रीज चैंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर (आइएसीसीआइए) को तत्काल प्रभाव से उद्गम प्रमाण पत्र (गैर-तरजीह) जारी करने के लिए विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2ड के तहत सूचीबद्ध किया जाता है।

लव अग्रवाल, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 9th January, 2026

No. 43/2025-26

Subject: Enlistment under Appendix 2E of FTP, 2023-Agency Authorised to issue Certificate of Origin (Non-Preferential)-regarding.

F. No. 01/93/180/55/AM-21/ PC.II (B)/ [E-26250].—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby authorises the following agency to issue Certificate of Origin (Non- Preferential), with immediate effect:

India & Arab Countries Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (IACCIA)

Address: F9/11, Vasant Vihar, New Delhi – 110057

Website: <https://iaccia.com/>

Email: info@iaccia.com

Tele/ Mob: +911142460536 / 09810038211

2. Accordingly, the name of the above-mentioned Agency is added at Serial No. 20 (Delhi) of Appendix 2E [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Non- Preferential)] to Appendices & Aayat Niryat Forms of FTP 2023.

Effect of this Public Notice:

The India & Arab Countries Chamber of Commerce, Industry & Agriculture (IACCIA) is enlisted under Appendix 2E of the FTP 2023 for issuing Certificates of Origin (Non-Preferential), with immediate effect.

LAV AGARWAL, Director General of Foreign Trade and
Ex-Officio Addl. Secy.